फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी

श्री जसूद्दीन मुकाम अजमेर

रस्म मुकदमा 188,53 नम्बर153/2012.....सन .... बनाम अल्लानूर व अन्य...

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही श्री श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
09.10.2018	पत्रावली पेश हुई। वकिल वादी उपस्थित। राजकीय पेरोकार उपस्थित । राजकीय पेरोकार द्वारा पत्रावली पर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा दिनांक 25.7.17, 11.9.17को अवशेष प्रतिवादी की तलबी हेतु नोटिस तलबाना प्रस्तुत करने पर भी पेष नही किए गए है। इस हेतु दिनांक 19.7.18 व 24.9.2018 को अन्तिम अवसर दिए जाने पर भी नोटिस तलबाना पेश नही किए गए है। जिस हेतु वादीगण द्वारा आदेशिका दिनांक 25.7.17 के पश्चात लगभग एक वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने तथा लगभग कई अवसर प्राप्त किए जाने के उपरान्त भी न्यायालय आदेश दिनांक 25.7.17, 11.9.17, 19.7.18, 24.9.18 की पालना नही कि गई है। जिस हेतु वादीगण को आदेशिका दिनांक 25.7.2017, को पूर्व आदेश की पालना किए जाने हेतु निर्देशित किया गया । इसके बावजूद भी वादीयॉगण द्वारा आज दिवस तक न्यायालय आदेश की पालना नही की गई है जिसे न्यायालय आदेशो की अदम पालना में निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया । हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे राजकीय पेरोकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि होकर न्यायालय आदेश दिनांक 25.7.2017 की प्रभावी आदेशिका बावजूद कई अवसर प्राप्त किए जाने एवं एक वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी पालना नही की गई है। जिससे वादीयॉगण एवं उनके अधिवक्ता की उक्त वाद को चलाए जाने में किसी प्रकार की कोई रूचि प्रकृट होना प्रतीत होती है इस प्रकार कानूनी प्रावधानो के तहत उभय पक्षकार अपने हक अधिकारो के प्रति सजग नही रहता है उसकी न्यायालय की किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नही कर सकता है। अतः वादीयॉगण का वादपत्र न्यायालय आदेशो की अदम पालना में निरस्त कर खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । उपखण्ड अधिकारी अजमेर	